न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 25/2015 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2016/00070)

रामजीलाल पुत्र केशोराम जाति खटीक निवासी लाल दरवाजा कस्बा बयाना तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. ग्यासिया पुत्र लौहरे
2. सुरेश पुत्र निरोती

जाति कोली निवासी ग्राम हरनगर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

3. राज0 सरकार जरिये तहसील बयाना जिला भरतपुर

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी बयाना मु0नं0 37/2013 ग्यासिया वगैरह बनाम तहसीलदार बयाना दिनांक 10.2.2015 (136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचंद शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री पंकज कुमार वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 27.06.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 10.2.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्ट ग्यासिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि पुराना आराजी खसरा नम्बर 1202 रकबा करीब 15 बीघा व आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा करीब 10 बीघा एक चका ग्राम कनावर तहसील बयाना में स्थित है। उक्त पुराना आराजी खसरा नम्बर 1202 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा स्थित ग्राम कनावर तहसील बयाना में स्थित है कि जिसका अपीलान्ट रामजीलाल पुत्र नानगा जाति जाटव निवासी रकबा तहसील खेरागढ खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी था। उक्त आराजी रैस्पो0 ग्यासिया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर लिया और मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। पुराना आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 17 विस्वा ग्राम कनावर तहसील बयाना में स्थित है, जिसका बाबू पुत्र कल्यान जाति हरिजन निवासी नगला चिम्मन तहसील बयाना खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी था। रैस्पो0 ग्यासिया ने उक्त आराजी को दिनांक 16.7.1986 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीद कर लिया और मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या 2 व 3 में दर्ज आराजी एक ही जगह स्थित है, जिस पर रैस्पो0 ग्यासिया का कब्जा व हैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। रैस्पो0 ग्यासिया ने अपनी उक्त आराजी को सिंचित करने के लिये ट्यूबबैल लगाया था, और उसी समय बिजली विभाग बयाना से कनैक्शन ले लिया था। तभी से अपनी उक्त आराजी को सिंचित करता चला आ रहा है। रैस्पो0 ग्यासिया ने अपनी

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उक्त आराजी में से 17,1/2 ऐयर रकबा बनयसिंह पुत्र कजौडी जाति जाटव निवासी मुर्रकी तहसील बयाना को मुन्तकिल कर दिया, और मौके परकब्जा दे दिया। उक्त बनैसिंह ने अपनी उक्त आराजी को दिनांक 10.7.2013 को रैस्पो0 संख्या 2 सुरेश पुत्र निरोती को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा मुन्तकिल कर दिया और मौके पर कब्जा दे दिया। वर्तमान सैटिलमेन्ट के दौरान जहां रैस्पोडेन्टस काबिज है तथा रैस्पोडेन्ट ग्यासिया का ट्यूबबैल लगा रखा है, के नवीन खसरा नम्बर 1838 रकबा 0.15, ख0नं0 1839 रकबा 0.12, ख0नं0 1840 रकबा 0.13 ग्राम कनावर तहसील बयाना बनाये गये है, लेकिन उक्त आराजी की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम वर्तमान सैटिलमेन्ट कर्मचारियों की सहवन भूल से कर दी गई है। इसी प्रकार नवीन खसरा नम्बर 1835 रकबा 0.17, ख0नं0 1836 रकबा 0.21, ख0नं0 1847 रकबा 0.02 स्थित ग्राम कनावर तहसील बयाना की खातेदारी सैटिलमेन्ट के कर्मचारियों की सहवन भूल से रैस्पोडेन्टस के नाम कर दी गई है जबकि उक्त आराजी पर अपीलान्ट रामजीलाल मौके पर काबिज चला आ रहा है।राजस्व रिकार्ड में हो रहे उक्त गलत इन्द्राज तथा रैस्पोडेन्ट ग्यासिया के लगे ट्यूबबैल व बिजली कनैक्शन के कारण अपीलान्ट रामजीलाल की नियत में बदयान्ति आ गई है। उसने मौके पर आकर दिनांक 12.09.2013 को बताया व धमकी दी कि तेरी खातेदारी व कब्जे की आराजी की खातेदारी मेरे नाम व मेरी आराजी की खातेदारी तेरे नाम हो गई है, इसलिऐ मैं तो मुताबिक रिकार्ड के तुम्हारी आराजी व ट्यूबबैल पर कब्जा करूंगा। अगर कब्जा करने में सफल नहीं हुआ, तो किसी लट्ठ व पैसे वाले व्यक्ति को मुन्तकिल कर दुंगा। अपीलान्ट रामजीलाल अपनी उक्त नाजायज मंशा व धमकी में सफल हो गये तो, रैस्पोडेन्टस को अपूर्णनीय क्षति होगी कि जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी और व्यर्थ में ही मुकदमेंबाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि प्रार्थी/रैस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 1838 रकबा 0.15 , खसरा नम्बर 1839 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 1840 रकबा 0.13 ग्राम कनावर तहसील बयाना में अपीलान्ट रामजीलाल के स्थान पर 0.21 एयर में 5/6 हिस्सा का रैस्पो0 संख्या 2 को व शेष रैस्पो0 संख्या 1 ग्यासिया के नाम व नवीन खसरा नम्बर नम्बर 1835 रकबा 0.17, ख0नं0 1836 रकबा 0.36, ख0नं0 1847 रकबा 0.02 ग्राम कनावर तहसील बयाना पर रैस्पोडेन्टस के स्थान पर अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावे। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही यह विवेचना की गई कि पक्षकारान के मध्य जो कब्जे का अन्तर आया है वह सैटिलमेन्ट विभाग के ऑपरेशन के दौरान हुई कमी से आया है, जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो रहा है। तदनुसार अपीलधीन आदेश दिनांक 10.2.2015 पारित कर प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट स्वीकार करते हुये आज्ञा दी गई कि तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक स्वयं की रिपोर्ट कमांक/ एलआर/ 14/811 दिनांक 20.3.2014 अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर पालना भिजवावें। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2015 विधिविरूद्ध तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। सुयोग्य अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि धारा 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही के जरिये किसी भी खातेदारी के नम्वरान की खातेदारी निरस्त कर अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की खातेदारी खसरा नम्बर 1833, 1839, 1840 की खातेदारी निरस्त कर रैस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के नाम व उनकी खातेदारी के खसरा नम्बर 1835 व 1836 की खातेदारी अपीलान्ट के नाम करने के आदेश दिये है। इस तरह का आदेश पारित करने का उक्त धारा में कोई अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। उक्त निर्णय अवैधानिक एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर पारित किया हुआ होने के कारण निरस्तनीय है। धारा 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत खातेदारी अधिकारों से छेडछाड नहीं की जा सकती है। तहत अदालत ने मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार वनाकर आदेश पारित किया है पटवारी की रिपोर्ट को तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया है। तहसीलदार न तो स्वयं मौके पर गये और ना ही वास्तविक स्थिति का पता ही लगाया है। पटवारी हल्का ने रैस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण से साज करके झूठी रिपोर्ट तैयार की है। मौके पर किसी भी नम्बर में ट्यूबवेल नहीं है इसके वावजूद पटवारी ने इसे अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर किया है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट अपीलान्ट के सामने व मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई और ना ही अपीलान्ट से पूछताछ की वरन् बिना मौके पर गये व वास्तविक स्थिति को देखे विना उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्तियां भी पेश की गयी थी तथा जवाव में भी आपत्ति दर्ज की गयी थी। परन्तु तहत अदालत ने इन आपत्तियों पर गौर नहीं किया। तथा मौका रिपोर्ट की ताईद में पटवारी हल्का के बयान भी नहीं लिये गये जिससे कि रिपोर्ट की सत्यता का पता चल पाता। पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत एकतरफा रिपोर्ट अपीलान्ट के विरुद्ध कानूनन पढी नहीं जा सकती है। अपीलान्ट की ओर से आपत्ति किये जाने के बाद मौके पर स्वयं तहत अदालत को या तहसीलदार को जाकर वास्तविकता का पता लगाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया वरन् पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। पक्षकारों के खातेदारी के अधिकार व रिकार्ड ऑफ राईटस में खातेदारी से संवधित फेरवदल केवल नियमितवाद द्वारा ही दोनों पक्षों की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य लेकर डिक्री पारित करके ही तय किये जाते है। धारा 136 एल आर एक्ट के तहत इस तरह के आदेश नहीं दिये जा सकते है, क्योकि उक्त धारा के तहत की जाने वाली कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें लिपिकीय भूल या सांख्यिकी त्रुटि ही सही की जा सकती है। यह भी तब ही सही होती है जब उभयपक्षकारान सहमत हों, इसके अभाव में नियमित वाद से ही इस तरह की त्रुटि दुरुस्त की जा सकती है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नियमों का उल्लघंन करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। तहत अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है कि खसरा नम्बर 1836 का 5/6 भाग रैस्पो0 नं0 1 ने रैस्पो0 नं0 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र धारा 136 की कार्यवाही करने से पूर्व विक्रय कर दिया था। उक्त तथ्य को अदालत मातहत में छुपाया गया है। रैस्पो0 नं0 2 मात्र खसरा नम्बर 1836 का ही खातेदार बनकर रह सकता है किसी अन्य खसरा नम्बर में उसके कोई अधिकार नहीं रहते है। विक्रयशुदा खसरा नम्बर के बदले रैस्पो0 अपीलान्ट की खातेदारी के नम्बरान को लेना चाहते है। जो

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कि नियमविरूद्ध है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1838, 1839 व 1840 का अपीलान्ट खातेदार है व मौके पर कब्जा है व आ0ख0नं0 1835, 1836 पर रैस्पो0 नं0 2 खातेदार दर्ज है व मौके पर काबिज है। रैस्पो0 के मन में वदयान्ति आने से राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से साज करके अवैधानिक तरीके से अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित नम्बरान को स्वयं की खातेदारी में दर्ज कराने का आदेश अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से कराया गया है जो कि क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण होने के कारण निरस्तनीय है। इसके अलावा उक्त नम्बरान में कोई ट्यूबवैल आदि भी नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2015 खारिज किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पों0 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2015 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण उक्त निर्णय में किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। रैस्पों0 की ओर से अदालत मातहत में राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि किस तरह से भू–प्रबंध विभाग द्वारा सैटिलमेन्ट के दौरान रैस्पों0 के कब्जेकाश्त में स्थित भूमि को अपीलान्ट की खातेदारी में व अपीलान्ट के कब्जेकाश्त में स्थित भूमि को रैस्पों0 की खातेदारी में दर्ज किये जाने की कार्यवाही की गई थी। रैस्पों0 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह इस्तदुआ की थी कि नवीन आराजी खसरा नंबर 1838 रकबा 0.15, 1839 रकबा 0.12, 1840 रकबा 0.13 ग्राम कनावर तहसील बयाना से अप्रार्थी संख्या 2 के स्थान पर 0.21 ऐयर से 5.6 का हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 को व शेष का प्रार्थी ग्यासिया के नाम व नवीन खसरा नंबर 1835 रकबा 0.17, 1836 रकबा 0.21, 1847 रकबा 0.02 ग्राम कनावर तहसील बयाना पर प्रार्थीगण के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने की आज्ञा पारित की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार बयाना से रिपोर्ट मंगवायी गई। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.03.2014 को मौके पर जाकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई जिसे तहसीलदार बयाना द्वारा उपखण्ड अधिकारी बयाना को अपनी अभिशंषा के साथ प्रेषित किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2015 को पारित किया गया है जो कि नियमानुसार है, क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटिलमेन्ट के दौरान की गई त्रुटि को राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरूस्त करवाये जाने का आवेदन किया जा सकता है। तथा उक्त प्रावधान के तहत उपखण्ड अधिकारी को इस तरह का आदेश पारित किये जाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। रैस्पों0 की ओर से अदालत मातहत में प्रकरण से संबंधित समस्त राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्ट की ओर से पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति अदालत मातहत में नहीं की गई। उपखण्ड अधिकारी बयाना ने उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत हुये राजस्व रिकार्ड व मौका रिपोर्ट का भलीभांति परीक्षण करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि उचित है। वकील रैस्पों0 ने यह भी तर्क दिया कि

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विवादित भूमि में रैस्पों0 का ट्यूबवैल लगा होने से अपीलान्ट के मन में बदयान्ति आ जाने के कारण उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत कभी भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए अपील अपीलान्ट बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2015 यथावत रखा जावे।

रिव्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि वकील रैस्पों0 का यह तर्क गलत है कि अपीलान्ट की ओर से पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की गई तथा विवादित भूमि पर रैस्पों0 का ट्यूबवैल बना होने से अपीलान्ट के मन में बदयान्ति आ गई है जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत जबाब में रैस्पों0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का विस्तृत जबाब बिन्दुवार पेश कर रैस्पों0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की इस्तदुआ की थी परन्तु अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इन तथ्यों पर न तो गौर किया और न ही पटवारी हल्का या तहसीलदार के मौका रिपोर्ट के समर्थन में बयान लिये वरन् पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर पारित किया है जो कि निरस्तनीय है।

अपीलान्ट रैस्पों0 के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रैस्पों0 की ओर से उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा गया था कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सैटेलमेन्ट के दौरान बनाये गये आराजी खसरा नम्बर 1838 रकबा 0.15, 1839 रकबा 0.12 व 1840 रकबा 0.13 ग्राम कनावर तहसील बयाना से अप्रार्थी संख्या 2 के स्थान पर 0.21 ऐयर से 5/6 हिस्सा का प्रार्थी संख्या 2 को व शेष प्रार्थी ग्यासिया के नाम व नवीन खसरा नम्बर 1835 रकबा 0.17, 1836 रकबा 0.21 1847 रकबा 0.02 पर प्रार्थीगण के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने की आज्ञा तहसीलदार बयाना को दी जावे। उक्त प्रर्थाना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट/अप्रार्थी की तलवी की गई। प्रकरण में तहसीलदार बयाना से रिकार्ड व मौका की रिपोर्ट लिये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर पटवारी हल्का की ओर से मौका रिपोर्ट दिनांक 19.03.2014 को पेश की गई। इस रिपोर्ट को तहसीलदार बयाना द्वारा अपनी टिप्पणी के साथ दिनांक 20.03.2014 को उपखण्ड अधिकारी, बयाना को प्रेषित किया गया। अपीलान्ट/अप्रार्थी की ओर से जरिये अभिभाषाक बिन्दुवार जबाब पेश किया गया जिसमें रैस्पोन्डेन्ट प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर उल्लेख किया गया कि प्रार्थीगण को कानूनन अन्य प्रक्रिया के तहत अधिकार प्राप्त है जिसके तहत दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रार्थीगण को सैटेलमेन्ट व मौके के कब्जेकास्त की पूर्व से जानकारी थी व समहमति भी थी। अप्रार्थी संख्या 2 सैटेलमेन्ट के पूर्व से ही जबाव पेश किये जाने तक अपने दोनों खातों 488–479 व 489 व 480 के नौ खेतों पर तकवदरतूर शांतिपूर्वक काबिज खातेदार है। अतः

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

प्रार्थना पत्र मय कोस्ट खारिज किया जावे। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बयाना ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2015 के द्वारा रैस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 136 एलआर एक्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2014 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर पालना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योकि राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत गलतियों का शुद्धिकरण किया जा सकता है। जिसके तहत भू अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकिय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख ले, परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाए तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जा सकेगी जब तक की पक्षकारों को हेतु दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हो। उक्त प्रकरण में रैस्पोन्डेन्ट प्रार्थी की ओर से उपरोक्त धारा के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट/अप्रार्थी की खातेदारी में स्थित भूमि को रैस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी की खातेदारी में व रैस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी की खातेदारी में स्थित भूमि को अपीलान्ट/अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज करने की इस्तदुआ की गई है। यद्यपि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट/अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी किया गया है तथा पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया है परन्तु अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2015 में विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपीलान्ट/अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जबाव में वर्णित तथ्यों का विस्तृत विवेचन नहीं कर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 19.03.2014 जिसकों कि तहसीलदार बयाना द्वारा दिनांक 20.03.2014 को उनके कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, में वर्णित तथ्यों को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जबकि उपरोक्त आदेश पारित करने से पूर्व रैस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 136 एलआर एक्ट की मैन्टेनेवलिटी अपीलान्ट/अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जबाव के परिपेक्ष्य में परीक्षण किया जाना आवश्यक था, क्योंकि रैस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मात्र इन्द्राजदुरूस्ती का नहीं हो कर खातेदारी परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित था। भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 वार्षिक रजिस्टरों में इन्द्राजों के सम्बन्ध में उत्पन्न विवादों के निपटारे तक ही सीमित है। यदि किसी को भू प्रबन्ध अभिलेख में इन्द्राज से शिकायत हो तो इसके लिए नियमित दावा किया जाना आवश्यक है। धारा 136 के तहत इस तरह का कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। इसी प्रकार खातेदार की हैसियत से दर्ज व्यक्ति के विरूद्ध भोगाधिकार का दावा करने वाला इस धारा के अन्तर्गत अभिलेख मे परिर्वतन नहीं करा सकता है। इस तरह के सिद्धांत माननीय राजस्व मण्डल के ओर से विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किये गये हैं। इसके अलावा उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा विवादित भूमि का मौका देखे जाने से पूर्व अपीलान्ट/अप्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया न ही अपीलान्ट की उपस्थिति में मौका देखा गया। तहसीलदार द्वारा भी पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को ही अग्रेषित किया गया है, स्वयं के द्वारा कोई मौका नहीं देखा गया। अपीलान्ट/अप्रार्थी की ओर से उक्त मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में भी आपत्ति की गई है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पारित

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आदेश दिनांक 10.02.2015 जोकि तहसीलदार बयाना की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 20.03.2014 के आधार पर पारित किया गया है, को उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परपेक्ष्य में अपील/अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2015 निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण उपखड अधिकारी बयाना को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता कि सर्वप्रथम इस सम्बन्ध मे जॉच करें कि रैस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर क्या रैस्पोन्डेन्ट की ओर से चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रैस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी की ओर से चाहा गया अनुतोष उनकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिया जा सकता है तो उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देते हुए विवादित भूमि के सम्बन्ध में उभयपक्षकारान की उपस्थित में मौका रिपोर्ट तहसीलदार बयाना से मंगावाकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.6.2023

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर